संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश

"कचनार" ई-5 पर्यावरण परिसर अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016
ई-मेल-mptownplan@mp.gov.in दूरभाष-0755-2427096

सूचना

भोपाल,दिनांक:- 4.10 ~~/09~~/2023

क्रमांक 4640 /टीसी/52/इंदौर/उपां/नग्रानि/2023 भोपाल - मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक-23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन एतद् द्वारा सार्वजनिक जानकारी हेतु यह अधिसूचित किया जाता है कि, संचालक, नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट इंदौर विकास योजना 2021 में उपांतरण प्रस्तावित करता है।

अनुसूची

क्रं	ग्राम/ तहसील एवं जिला	खसरा क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर)	उपांतरण हेतु प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपान्तरण पश्चात प्रस्तावित भू-उपयोग
1.	भागीरथपुरा तहसील मल्हारगंज जिला इंदौर	98/2	4.387	4.387	आमोद-प्रमोद (आंशिक), रेल्वे स्टेशन, वाणिज्यक एवं मार्ग	औद्योगिक, आमोद- प्रमोद (आंशिक) एवं मार्ग

शर्त :-

1. प्रश्नाधीन स्थल के पश्चिम दिशा में विद्यमान एम.आर. 4 मार्ग की चौड़ाई 45.00 मीटर निर्दिष्ट है अतः रेल्वे की सीमा के पश्चात् मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा।
2. आवेदित स्थल के दक्षिण दिशा में स्थित वर्तमान 12.00 मीटर चौड़े मार्ग हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
3. स्थल पर विद्यमान धार्मिक स्थल के संबंध में संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त किये जाने के पश्चात ही आगामी कार्यवाही की जाना आवश्यक होगा।
4. स्थल पर निर्माण / विकास के पूर्व पर्यावरणीय प्रभाव/ उपयुक्तता का समुचित परीक्षण किया जाकर पर्यावरणीय संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करते हुए समस्त संबंधित विभागों से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित उपान्तरण के ब्यौरे, सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिये संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय इंदौर तथा वेबसाईट www.mptownplan.gov.in पर भी उपलब्ध होंगे।

प्रस्तावित उपान्तरण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति के कोई आपत्ति/सुझाव हो तो, वह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र. भोपाल अथवा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर को दैनिक समाचार पत्रों में इस सूचना प्रकाशन होने की दिनांक से 15 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियाँ या सुझाव, जो उपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो, पर विचार किया जाएगा।

(मुकेश चन्द गुप्ता)
वि.क.अ.सह आयुक्त सह संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

E:\AMITA\TC Section\2023\Dhara 23 k 1 kha.docx